संख्या- /2017/ /पॉच-6-17-03(बजट)/17

प्रेषक,

अवधेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक: 10 अगस्त, 2017

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-32 चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्राविधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-85/2017/580/पांच-6-2017-03(बजट)/17, दिनांक 07.04.2017 जिसके द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रथम पांच माहों (अप्रैल से अगस्त, 2017 तक) के लिए कुल रू0 229959.94 लाख की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है, के सन्दर्भ में आपके पत्र संख्या-5फ/बजट/2017-18/1127, दिनांक 27.07.2017 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-32 चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्राविधानित योजनाओं के अन्तर्गत राजस्व मद में मतदेय एवं भारित मद के अन्तर्गत निम्नलिखित विवरणानुसार अवशेष धनराशि कुल रू0 278683.84 लाख (रूपया सत्ताईस अरब छियासी करोड़ तिरासी लाख चौरासी हजार मात्र) व पूंजीगत मद में धनराशि रू0-1500.00 लाख (रूपया पन्द्रह करोड़ मात्र) की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए आपके निर्वतन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं :-

(धनराशि रूपया लाख में)

अनुदान संख्या/योजना का विवरण	अवमुक्त धनराशि
अनुदान संख्या 32-चिकित्सा विभाग लेखाराजस्व -(एलोपैथी चिकित्सा)	
राजस्व लेखा	
2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 01-शहरी स्वास्थ्य सेवायें-एलोपैथी 001-निदेशन तथा प्रशासन	
03-निर्देशन	**2570.50**
भारित	11.67
110-अस्पताल और औषधालय	
04-एलोपैथी एकीकृत चिकित्सालय और औषधालय	118032.15
05-राजकीय चिकित्सालयों हेतु शव वाहन	525.00
07-किशोरी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना	583.33
800-अन्य व्यय	
03-चिकित्सालयों और औषधालयों को अनुदान	1383.73

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें-पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति 110-अस्पताल तथा औषधालय	
04-किशोरी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना	583.33
10-एलोपैथिक चिकित्सालय और औषधालय	154702.46
80-सामान्य	
07-जे0ई0/ए0ई0एस0 से मृत व्यक्तियों के परिवार तथा विकलांग व्यक्तियों को सहायता	291.67
योग-2210-मतदेय	278672.17
भारित	11.67
कुल योग-	**278683.84**

अनुदान संख्या/ योजना का विवरण	अवमुक्त धनराशि
पूंजी लेखा 4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पूंजीगत परिव्यय 01- शहरी स्वास्थ्य सेवायें 110- अस्पताल तथ औषधालय	
56-शहरी क्षेत्रों के चिकित्सालय एवं औषधालय में लघु निर्माण कार्य	1000.00
02-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें	
09-ग्रामीण क्षेत्रों के चिकित्सालयों /औषधालयों में लघु निर्माण कार्य	500.00
योग-4210-	1500.00

2- उक्त स्वीकृत/निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन होगी :-

(1) वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03.08.2017 की व्यवस्थानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी तथा उक्त शासनादेश के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(2) अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डाक खाते में कदापि नहीं रखी जायेगी।

(3) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत स्वीकृतियां किसी अन्य योजना में शामिल नहीं है तथा इस हेतु किसी अन्य स्रोत से वित्त पोषण नहीं प्राप्त है अथवा किया जायेगा।

(4) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त स्वीकृतियों के लिये किसी अन्य स्रोत से धनराशि की व्यवस्था नहीं की गयी है।

(5) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृतियों की पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग उन्हीं कार्यो/मदों पर किया जायेगा, जिसके लिये स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय/उपयोग वित्तीय अनियमितता माना जायेगा।

1 यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2 इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03.08.2017 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(अवधेश कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

संख्या-109 /2017/1764 (1)/पाँच-6-2017, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(3) मिशन निदेशक, एन0एच0एम0, एस0पी0एम0यू0, उ0प्र0 लखनऊ।
(4) संबंधित कोषाधिकारी/कोषागार ।
(5) निदेशक (चिकित्सा उपचार/भण्डार/पी0एच0सी0/सी0एच0सी0), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
(6) निदेशक/वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0, लखनऊ ।
(7) अपर निदेशक (नियोजन/बजट/विद्युत), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
(8) संबंधित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ ।
(9) संबंधित मुख्य चिकित्साधिकारी/ मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ।
(10) अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
(11) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/चिकित्सा अनुभाग-1/5/7, उ0प्र0 शासन ।
(12) कार्यालय आदेश पुस्तिका ।
(13) प्रशासकीय स्वीकृति की एक प्रति मूल पत्रावली में।
(14) विभागीय वेबमास्टर ।

आज्ञा से,

(राम नगीना मौर्य)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या- /2017/ /पॉच-6-17-03(बजट)/17

प्रेषक,

अवधेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक : 10 अगस्त, 2017

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-36 चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्राविधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-86/2017/580(क)/पांच-6-2017-03(बजट)/17, दिनांक 07.04.2017 जिसके द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रथम पांच माहों (अप्रैल से अगस्त, 2017 तक) के लिए कुल रू0 31104.39 लाख की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है, के सन्दर्भ में आपके पत्र संख्या-6फ/बजट/2017-18/242, दिनांक 27.07.2017 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-36 चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्राविधानित योजनाओं के अन्तर्गत राजस्व मद में मतदेय एवं भारित मद के अन्तर्गत निम्नलिखित विवरणानुसार राजस्व लेखा के लेखाशीर्ष-2210 के अन्तर्गत अवशेष धनराशि कुल रू0 25427.05 लाख (रूपया दो अरब चौवन करोड़ सत्ताईस लाख पॉच हजार मात्र) व राजस्व लेखा के लेखाशीर्ष-4210 के अन्तर्गत कुल रू0-7.00 लाख (रूपया सात लाख मात्र) की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए आपके निर्वतन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं :-

(धनराशि रूपया लाख में)

अनुदान सख्यायोजना का विवरण /	अवमुक्त धनराशि
अनुदान संख्या 36-चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) राजस्व लेखा	
-2210चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	
-06शहरी स्वास्थ्य सेवायें	
-001निदेशन तथा प्रशासन	
-03अधिष्ठान व्यय	500.22
भारित	1.17
-003प्रशिक्षण -	
-04सम्भागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र	376.58
-101रोगों का निवारण तथा नियंत्रण	
-03स्वास्थ्य तथा खाद्य एवं औषधि नियंत्रण	24296.48
-80सामान्य	
-0302राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान	252.60
योग-2210-मतदेय	25425.88
भारित	1.17
कुल योग -	25427.05

1 यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	
03 स्वास्थ्य तथा खाद्य एवं औषधि नियन्त्रण।	7.00
कुल योग-	7.00

2 उक्त स्वीकृत/निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि निम्नलिखित शर्तो/ प्रतिबन्धों के अधीन होगी :-

(1) वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03.08.2017 की व्यवस्थानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी तथा उक्त शासनादेश के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(2) अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डाक खाते में कदापि नहीं रखी जायेगी।

(3) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत स्वीकृतियां किसी अन्य योजना में शामिल नहीं है तथा इस हेतु किसी अन्य स्रोत से वित्त पोषण नहीं प्राप्त है अथवा किया जायेगा।

(4) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त स्वीकृतियों के लिये किसी अन्य स्रोत से धनराशि की व्यवस्था नहीं की गयी है।

(5) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृतियों की पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग उन्हीं कार्यो/मदों पर किया जायेगा, जिसके लिये स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय/उपयोग वित्तीय अनियमितता माना जायेगा।

3 यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03.08.2017 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(अवधेश कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

संख्या-110 /2017/1765 (1)/पॉच-6-2017, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(3) मिशन निदेशक, एन0एच0एम0, एस0पी0एम0यू0, उ0प्र0 लखनऊ।
(4) संबंधित कोषाधिकारी/कोषागार ।
(5) निदेशक (चिकित्सा उपचार/भण्डार/पी0एच0सी0/सी0एच0सी0), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
(6) निदेशक/वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0, लखनऊ ।
(7) अपर निदेशक (नियोजन/बजट/विद्युत), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
(8) संबंधित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ ।
(9) संबंधित मुख्य चिकित्साधिकारी/ मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ।
(10) अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
(11) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/चिकित्सा अनुभाग-1/5/7, उ0प्र0 शासन ।
(12) कार्यालय आदेश पुस्तिका ।
(13) प्रशासकीय स्वीकृति की एक प्रति मूल पत्रावली में।
(14) विभागीय वेबमास्टर ।

आज्ञा से,

(राम नगीना मौर्य)
संयुक्त सचिव।

1 यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2 इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।